अनुसूची १४ फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-281/2012

नारायण पाण्डेय ..... अपीलार्थी

बनाम

विजय यादव एवं अन्य .....विपक्षीगण

आदेश

30.09.2014

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज जिला सुपौल के भूमि विवाद वाद संख्या 79/2011-12 में दिनांक- 30.06.2012 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर लाया गया है। विवादित जमीन छातापुर थाना अर्न्तगत खाता संख्या- 426 खेसरा संख्या- 2538 रकवा 30 डिसमिल है।बहस के दौरान स्पष्ट हुआ कि यह ससमय दायर है, अतः इसे ग्रहित किया गया। अपीलार्थी का दावा है कि संयुक्त परिवार में उनके में उनके पूर्वज रामनजर पाण्डेय ने केवाला संख्या- 375 दिनांक- 19.02.1932 को खाता संख्या 426 का 3 एकड़ 17 डिसमिल जमीन खरीदा जिसमें विवादित खेसरा संख्या- 2538 की जमीन भी शामिल है केवाला बंशी मंडल तथा कुसुमलाल मंडल द्वारा किया गया है। कुसुम लाल मंडल ने अपनी हैसियत के अतिरिक्त अपने नाबालिग भाईयों यथा रेसो मंडल एवं अबीरलाल मंडल के अभिभावक की हैसियत से भी केवाला किया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कुसुमलाल मंडल को बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के अपने नाबालिग दोनों भाईयों के हक को केवाला द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं था और उन्होने बिना सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये वैसा किया। अतः उक्त केवाला विधि-सम्मत नहीं होने के कारण अवैध है, जिसके आधार पर किया गया अपीलार्थी का दावा अमान्ययोग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं वाद में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विक्रेता कुसुमलाल मंडल का परिवार हिन्दु मिताक्षरा विधि से शासित था और अपने

नाबालिग भाईयों के साथ केवाला के समय 19.02.1932 को संयुक्त था। हिन्दु मिताक्षरी विधि से शासित संयुक्त परिवार में कर्त्ता को परिवार की सम्पत्ति को बेचने का अधिकार होता है, जिसका उपयोग कुसुमलाल मंडल ने परिवार के हित में किया। खाता संख्या-426 की 03 एकड़ 17 डिसमिलजमीन वर्ष 1928 में लक्ष्मी पाण्डेय को सूदभरना पर दी गयी थी, जिसकी अदायगी नहीं हो पा रही थी। इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए वर्ष 1932 में खाता संख्या 426 की 03 एकड़ 17 डिसीमल जमीन बेचनी पड़ी। यह कदम परिवार के हित में था, जो कुसुमलाल मंडल ने संयुक्त परिवार के वयस्क सदस्य होने के कारण अपने तथा अपने नाबालिग भाईयों की ओर से किया। इस प्रकार संयुक्त परिवार, जो निर्विवाद रूप से हिन्दु मिताक्षरा विधि से शासित है का वयस्क सदस्य एवं कर्त्ता होने के कारण कुसुमलाल मंडल द्वारा अपने नाबालिग भाईयों के हक का हस्तान्तरण अवैध एवं गैर कानूनी नहीं है। ऐसा करने से पूर्व उन्हें सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता थी, ऐसा कोई कानून प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः इस बिन्दू पर उनकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान यह स्पष्ट किये कि अगर कुसुमलाल मंडल के नाबालिग भाईयों को विवादित जमीन में उनके हक के हस्तान्तरण के संबंध में कोई आपत्ति थी तो वयस्कता प्राप्त होने के बाद तीन वर्ष के अंदर ही इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करनी थी, जो उन्होने नहीं किया। उस अवधि के बीतने के बाद वह समय बाधित हो गया।

सभी बिन्दुओं पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि 19.02.1932 को किया गया केवाला वैध और बाध्यकारी है और उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता।

विवादित खेसरा संख्या-2538 पर अपीलार्थी के दावे के विरूद्ध प्रतिपक्षी की ओर से जो बात सर्वाधिक बल देकर कही गयी कि केवाला 376 दिनांक 19.02.1932 में खेसरा संख्या 2538 का उल्लेख ही नहीं है जबकि उक्त केवाला ही अपीलार्थी के दावे का आधार है। प्रतिपक्षी की ओर से कहा गया कि उक्त केवाला में खेसरा संख्या 2568 अंकित है, खेसरा संख्या 2538 नहीं। प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि इस प्रकार आधारविहीन होने के कारण अपीलार्थी का दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह सच है कि केवाला में खेसरा संख्या 2538 के बदले 2568 ही अंकित है, जो महज़ लिपिकीय भूल है और उसे विवादित जमीन की पहचान प्रभावित नहीं होती है। उन्होने कहा कि केवाला में भूलवश 2538 के बदले जो खेसरा संख्या 2568 अंकित है उसमें उल्लिखित चौहद्दी वस्तुतः खेसरा संख्या 2538 की ही चौहद्दी है। उनका कहना है कि जहाँ खेसरा संख्या एवं जमीन की चौहद्दी में विरोध होता है तो वहाँ जमीन की पहचान

के लिए चौहद्दी को ही निर्णायक माना जाता है। केवाला में लिपिकीय भूलवश खेसरा संख्या 2538 के बदले खेसरा संख्या 2568 अंकित करते हुए भी जमीन की जो चौहद्दी केवाला में दी गयी है, वह खेसरा संख्या-2538 की ही चौहद्दी है। अतः यह स्पष्ट है कि विक्रेता का अभिप्राय खेसरा संख्या 2538 को बेचने का है न कि खेसरा संख्या 2568 को जो खाता संख्या 426 के अंतर्गत है या नहीं। विक्रेता द्वारा खाता संख्या 426 की जमीन केवाला की गयी है, जिसके अंतर्गत खेसरा संख्या 2568 है या नहीं और भूलवश उक्त खेसरा को अंकित करते हुए भी जमीन की जो चौहद्दी दी जाती है वह वस्तुतः खेसरा संख्या 2538 की है तो स्पष्टतया विक्रेता की मंशा खेसरा संख्या 2538 की जमीन बेचने की है। इस संबंध में संदेह की गुजायश है ही नहीं। अतः इस बिन्दू पर भी प्रतिपक्षी की ओर से की गयी आपत्ति स्वीकारयोग्य नहीं है। खेसरा अंकित होने में इस प्रकार की भूल को लिपिकीय भूल मानकर उसे नजर अंदाज करने से संबंधित उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

विवादग्रस्त भूमि के कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा डहरिया, खाता नं0 426, खेसरा सं0 2538 एवं भूलवश अंकित खेसरा संख्या 2568 में अंकित चौहद्दी एक ही है, यथा उत्तर में बलदेव पाण्डेय, दक्षिण में फेकू पाण्डेय आदि। इससे स्पष्ट है कि लिपिकीय भूलवश खेसरा संख्या 2538 के स्थान पर 2568 अंकित हुआ है। बहस के दौरान केवाला एवं मूल खतियान, राजस्व रसीद आदि दिखलाया गया। कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खाता नं0-426, खेसरा नं0-2538, रकवा-30 डि0 दिनांक 19.02.1932 को केवाला संख्या-376 द्वारा क्रय खतियानी रैयत कुसुमलाल मंडल, रेशो मंडल से की गई है, जिसका जमाबंदी नं0-948, 1974 में अपीलकर्त्ता के पारिवारिक सदस्य नरेश पाण्डेय के नाम दर्ज हुआ है। हाल आपसी बँटवारा में जमाबंदी नं0-2676 अपीलार्थी के नाम से दर्ज हुआ, जिसमें प्रश्नगत भूमि का 30 डि0 रकवा सम्मिलित है।

वर्णित स्थिति में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सूनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरांत निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में वाद की कार्रवाई हेतु आदेश दिया जाता है। अपील अभिलेख निस्तारित किया जाता है, निम्न न्यायालय अभिलेख वापस की जाए।

लेखापित एवं संशोधित।

30.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल. सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
01.11.14	**भूमि विवाद अपील वाद संख्या 281/2012** अपीलकर्त्ता की ओर से दिनांक 01.11.2014 ई0 को इस वाद के पारित अंतिम आदेश दिनांक 30.09.2014 ई0 में सुधार करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन में अपीलकर्त्ता ने प्रार्थना किया है कि आदेश के प्रथम पृष्ठ पर केबाला संख्या 376 के स्थान पर 375 भूलवश अंकित हो गया है एवं केबालाकर्त्ता तीन व्यक्ति कमशः बंशी मंडर, फनकी मंडर पिता स्व0 नन्दे मंडर, कुसुम लाल मंडर पिता स्व0 अधिकलाल मंडर हैं जबकि आदेश में दो व्यक्ति कमशः बंशी मंडर तथा कुसुम लाल मंडर अंकित हो गया है वो एक व्यक्ति फनकी मंडर का नाम छुट गया है । लिहाजा इसके उक्त केवाला संख्या एवं नामों में सुधार होना न्यायहित में जरूरी है जो बिल्कुल फारमल नेचर का सुधार है। अंकित आदेश एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा दिनांक 31.10.2014 ई0 को अंतिम आदेश का नकल वाजाप्ता हासिल करने के पश्चात् यह प्रकाश में आया कि उक्त भूल हो गया है जिसका सुधार होना आवश्यक है। अतः अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.11.2014 ई0 को स्वीकृत किया जाता है। अतः कार्यालय लिपिक को निदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा दिये गये आवेदन के मुताबिक अंतिम आदेश में सुधार करना सुनिश्चित करें। तदुपरांत शुद्धि–पत्र निर्गत करते हुए उभय पक्षों को नकल वजाप्ता निर्गत करें। पूर्व में निर्गत नकल वजाप्ता को निरस्त किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं 1.11.14 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
01.11.14	शुद्धि– पत्र भूमि विवाद अपील वाद संख्या 281/2012 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 में सुधार निम्नप्रकार किया जाता है:– आदेश के प्रथम पृष्ठ पर केवाला संख्या 375 के स्थान पर 376 दर्ज किया जाता है एवं केबालाकर्त्ता दो व्यक्ति कमशः बंशी मंडर तथा कुसुम लाल मंडर के स्थान पर केबालाकर्त्ता तीन व्यक्ति कमशः बंशी मंडर, फनकी मंडर पिता स्व0 नन्दे मंडर, कुसुम लाल मंडर पिता स्व0 अधिकलाल मंडर दर्ज किया जाता है जो बिल्कुल सही एवं दुरूस्त है। यह कि उपरोक्त सुधार होने से इस वाद के न्याय निर्णय में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वो उक्त सुधार बिल्कुल Formal nature का है जो मात्र एक टंककीय भूल है। अतः यह शुद्धि– पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 का अंश होगा। 1/11/14 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	